भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 931
05 फरवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बुनियादी ढांचा सुविधाएं

†931. श्री मलैयारासन डी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कल्लाकुरिची लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित तमिलनाडु और देशभर में शीतागारों, एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों जैसी बुनियादी ढांचा सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और पीएमकेएसवाई, मेगा फूड पार्क और कोल्ड चेन घटकों जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत स्वीकृत, चल रही और पूर्ण परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु की कृषि जलवायु क्षमता के विशेष संदर्भ में स्वदेशी, पारंपरिक और क्षेत्र-विशिष्ट खाद्य उत्पादों की प्रोत्साहन देने सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के भीतर विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय खाद्य उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई विशिष्ट योजना लाने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो निर्यात-उन्मुख बुनियादी ढांचे, गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या तमिलनाडु और कल्लाकुरिची क्षेत्र के लिए ऐसी कोई पहल प्रस्तावित है और यदि हॉ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने और तमिलनाडु के कल्लाकुरिची निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे देश में फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए फसल कटाई के बाद की अवसंरचना और प्रसंस्करण सुविधाओं के निर्माण हेतु केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला स्कीम "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)" को लागू कर रहा है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत घटक योजनाएं पात्र संगठनों/संस्थाओं को खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण अवसंरचना स्थापित करने के लिए अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जिसमें खेत से लेकर खुदरा बाज़ार तक एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण शामिल है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए आंतरिक उपयोग हेतु शीत भंडारण शामिल हैं।

दिनांक 31.12.2025 तक, पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत 1607 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1196 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं/चालू हो चुकी हैं और शेष 411 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

पीएमकेएसवाई घटक योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण और चालू परियोजनाओं की संख्या				
क्र. सं.	**घटक योजना का नाम**	**स्वीकृत**	**पूर्ण**	**चालू**
1	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना निर्माण के लिए योजना	66	23	43
2	खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमताओं के सृजन/विस्तार के लिए योजना	509	349	160
3	एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना के लिए योजना	402	301	101
4	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना के लिए योजना	205	173	32
5	ऑपरेशन ग्रीन्स	41	20	21
6	मानव संसाधन और संस्थान – अनुसंधान एवं विकास	257	227	30
7	बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के निर्माण की योजना **(दिनांक 01.04.2021 से बंद कर दी गई)**	60	53	7
8	मेगा फूड पार्क **(01.04.2021 से बंद कर दिया गया)**	41	25	16
9	मानव संसाधन और संस्थान – कौशल विकास **(दिनांक 01.04.2021 से बंद कर दिया गया)**	26	25	1
कुल		**1607**	**1196**	**411**

तमिलनाडु राज्य में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 155 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से 113 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं/चालू हो चुकी हैं और शेष 42 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख): पीएमकेएसवाई एक केंद्रीय क्षेत्र की मांग आधारित योजना है और तमिलनाडु सहित पूरे भारत से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पीएमकेएसवाई की किसी भी घटक योजना के अंतर्गत राज्य-वार रूप से धनराशि आवंटित/स्वीकृत/जारी नहीं की जाती है। निधि की उपलब्धता के आधार पर पात्र प्रस्तावों को योग्यता के आधार पर स्वीकृति दी जाती है। इन परियोजनाओं के माध्यम से, पीएमकेएसवाई तमिलनाडु सहित देश में स्वदेशी, पारंपरिक और क्षेत्र-विशिष्ट खाद्य उत्पादों सहित खाद्य उत्पादों के लिए उत्पाद विविधीकरण, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देता है।

इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश के 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना को लागू कर रहा है। यह योजना इनपुट की खरीद, साझा सेवाओं का लाभ उठाने और स्थानीय और स्वदेशी खाद्य उत्पादों के विपणन में अनुपात का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण अपनाती है। ओडीओपी या तो नाशवान कृषि उत्पाद, अनाज आधारित उत्पाद या खाद्य उत्पाद हैं जो किसी जिले में व्यापक रूप से उत्पादित होते हैं और उनके संबद्ध क्षेत्र हैं।

तमिलनाडु में पीएमएफएमई के अंतर्गत सहायता के लिए चयनित ओडीओपी की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

(ग) और (घ): सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भारतीय खाद्य उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, तमिलनाडु के कल्लाकुरिची निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे देश के पात्र संगठनों/संस्थाओं को निर्यात-उन्मुख खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं से संबंधित अवसंरचना और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं सहित खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना और उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो निर्यात के लिए खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ और गुणवत्ता में सुधार करने में सहायक होती हैं।

पीएमकेएसवाई का खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (एफएसक्यूएआई) घटक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और उन्नयन में सहायता करता है और इस प्रकार निर्यातकों को आयात करने वाले देशों के गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में मदद करता है।

इसके अलावा, एमओएफपीआई एक केंद्रीय क्षेत्र "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई)" लागू कर रहा है। इस योजना के ब्रांडिंग और मार्केटिंग घटक के अंतर्गत, मंत्रालय विदेशों में भारतीय खाद्य ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (विदेशों में ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर किए गए व्यय का 50%, खाद्य उत्पादों की बिक्री के अधिकतम 3% या प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, के अधीन) प्रदान करता है, जो वैश्विक बाजारों में भारतीय ब्रांडेड उपभोक्ता खाद्य उत्पादों के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग गतिविधियों का समर्थन करता है।

अनुबंध

दिनांक 05.02.2026 को उत्तर हेतु 'खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में ढांचा सुविधाएं' विषय पर लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 931 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

तमिलनाडु में पीएमएफएमई के अंतर्गत सहायता के लिए चयनित ओडीओपी		
क्र. सं.	**ज़िला**	**ओडीओपी**
1	अरियालुर	काजू आधारित उत्पाद
2	चेंगलपट्टू	मत्स्य उत्पाद
3	चेन्नई	बेकरी उत्पाद
4	कोयंबटूर	नारियल उत्पाद
5	कुड्डालोर	काजू आधारित उत्पाद
6	धर्मपुरी	बाजरा उत्पाद
7	डिंडीगुल	जानवरों का चारा
8	इरोड	हल्दी आधारित उत्पाद
9	कल्लाकुरिची	खाद्य तेल (मूंगफली) आधारित उत्पाद
10	कांचीपुरम	खाद्य तेल (मूंगफली) आधारित उत्पाद
11	कन्याकुमारी	मत्स्य उत्पाद
12	करूर	मोरिंगा उत्पाद
13	कृष्णागिरी	आम के उत्पाद
14	मदुरई	दाल उत्पाद
15	नागपट्टिनम	मत्स्य उत्पाद
16	नमक्कल	पोल्ट्री फ़ीड उत्पाद
17	पेरम्बलुर	जानवरों का चारा
18	पुदुक्कोट्टई	मूंगफली आधारित उत्पाद
19	रामनाथपुरम	मत्स्य उत्पाद
20	रानीपेट	खाद्य तेल (मूंगफली)
21	सलेम	टैपिओका उत्पाद
22	शिवगंगा	नारियल उत्पाद
23	तेनकासी	नींबू आधारित उत्पाद
24	तंजावुर	नारियल उत्पाद
25	नीलगिरी	सब्जी आधारित उत्पाद
26	थेनी	केले आधारित उत्पाद
27	तिरुवल्लुर	दाल उत्पाद
28	थूथुकुडी	ताड़ के उत्पाद
29	तिरुनेलवेली	केले आधारित उत्पाद
30	तिरुप्पथुर	मूंगफली आधारित उत्पाद
31	तिरुप्पुर	पोल्ट्री फ़ीड उत्पाद
32	तिरुवन्नामलाई	मूंगफली आधारित उत्पाद
33	तिरुवरुर	दाल उत्पाद
34	त्रिची	केले आधारित उत्पाद
35	वेल्लोर	दूध आधारित उत्पाद
36	विल्लुपुरम	खाद्य तेल (मूंगफली) आधारित उत्पाद
37	विरुधुनगर	बाजरा उत्पाद
कुल		**37**